भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2100

दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

गुजरात में पोषण अभियान

2100. श्री राजेशभाई नारणभाई चुड़ासमा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोषण अभियान के अंतर्गत गुजरात में कितने आंगनवाड़ी केंद्र कार्यशील हैं और उक्त योजना से कितने लाभार्थी बच्चे/माताएं जुड़ी हुई हैं;

(ख) क्या गुजरात में उच्च कुपोषण दर वाले जिलों को विशेष प्राथमिकता दी गई है और यदि हां, तो वे कौन-से जिले हैं, जहां विशेष उपाय किए गए हैं; और

(ग) क्या गुजरात में डिजिटल पोषण ट्रैकर्स/मोबाइल ऐप्स का उपयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ग): मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत लाभार्थियों को प्रदान की जा रही सभी सेवाओं की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए आईसीटी आधारित निगरानी उपकरण के रूप में 'पोषण ट्रैकर' डिजिटल एप्लिकेशन शुरू किया गया है। पोषण ट्रैकर गुजरात सहित देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा ऑनबोर्ड किया गया है। डिजिटल रूप से कार्यक्रम की निगरानी के लिए राज्यों के पास लॉगिन क्रेडेंशियल हैं। गुजरात सहित सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कार्यशील

आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या, बच्चों और माताओं की संख्या पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड: https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है।

इस मिशन को देश के सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण संबंधी परिणामों में सुधार लाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं:

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार बच्चों (6 माह से 6 वर्ष), गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम) और टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। गंभीर रूप से तीव्र कुपोषित (एसएएम) बच्चों को टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में अतिरिक्त पोषण भी प्रदान किया जाता है।
- मिशन पोषण 2.0 में अग्रणी कार्यकर्त्रियों (फ्रंटलाइन फंक्शनरीज) को डेटा रिचार्ज सुविधा के साथ-साथ स्मार्टफोन उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, पंजीकृत लाभार्थियों की नियमित वृद्धि निगरानी के लिए प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र (एडब्ल्यूसी) में इन्फैंटोमीटर, स्टेडियोमीटर,शिशु वजनमापी मशीन (वैइंग स्केल इन्फेंट) और मां तथा बच्चे की वजनमापी मशीन (वैइंग स्केल-मदर एंड चाइल्ड) के रूप में विकास निगरानी उपकरणों (जीएमडी) की व्यवस्था है।
- पोषण ट्रैकर के तहत प्रौद्योगिकी का उपयोग बच्चों में बौनापन, दुबलापन और अल्प वजन की व्याप्तता की निरंतर पहचान के लिए भी किया जाता है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां पोषण परामर्श, देखभाल मार्गदर्शन और प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास को बढ़ावा देने के माध्यम से गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों (0-3 वर्ष) की सहायता के लिए व्यवस्थित गृह दौरे करती हैं।
- पोषण संबंधी पहलुओं पर लोगों को शिक्षित करने के लिए जन आंदोलन (सितंबर और मार्च-अप्रैल के महीनों में मनाया जाने वाला क्रमशः पोषण माह और पोषण पखवाड़ा) के रूप में सामुदायिक जुटाव और जागरूकता प्रसार की गई प्रमुख गतिविधियों में से एक है क्योंकि पोषण की अच्छी आदत को अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है।

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने संयुक्त रूप से, बच्चों में गंभीर कुपोषण की रोकथाम और उपचार तथा इससे संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए बच्चों में कुपोषण के प्रबंधन हेतु प्रोटोकॉल जारी किया है।
- आहार-विविधता और पौष्टिक स्थानीय उत्पादों के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं बनाई गई हैं। स्थानीय और मौसमी फलों, सब्जियों के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर के आंगनवाड़ी केंद्रों में मिशन पोषण 2.0 के तहत पोषण वाटिका या पोषण उद्यान स्थापित किए जा रहे हैं ताकि आहार-विविधता में सुधार हो सके और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन बढ़ सके।
- हर महीने मिशन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला पोषण समितियों का गठन किया गया है जिनमें प्रमाणित पोषण विशेषज्ञ सदस्य के रूप में शामिल हैं।
- योजना की प्रगति की समीक्षा के लिए राज्य स्तरीय संचालन समिति का भी गठन किया गया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली यह समिति अंतर-विभागीय समन्वय, कार्यनीतिक निगरानी और प्रमुख संकेतकों की आवधिक समीक्षा के लिए एक प्रमुख समन्वय मंच के रूप में कार्य करती है। समिति की परिकल्पना राज्य में व्यवस्था को मजबूत करने, कार्यान्वयन, गुणवत्ता की निगरानी करने और पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए समय पर कार्रवाई की सुविधा प्रदान करने के लिए की गई है।
